Date: 26-12-2024

To,

Registrar General
Hon'ble NGT
New Delhi

ADDITIONAL SUBMISSION

Original Application No. 1141/2024
Amresh Singh Vs

1. I Amresh Singh R/o Village Kushmaur, Post Gandhi Nagar, District- Basti U.P. has sent a Letter petition to Public Grevience at Hon'ble NGT, New Delhi which has been taken suo-moto and registered as Original Application with OA No. 1141/2024.

2. I would like to acknowledge Some more points to Principal Bench of Hon'ble NGT Regarding Medical Pollution Control Committee (CBWTF) unit located at D-33, Industrial Area Khalilabad the unit called MPCC.

3. M/s Medical Pollution Control Committee, Khalilabad CBWTF Plant was granted CTE for the incinerator capacity 100 Kg/Hr but as per the regional officer report the unit is operating with expanded capacity without prior grant of environment clearance (EC).

4. M/s MPCC catering Bio Waste from Health Care Units located in Gorakhpur, Basti, Sant Kabir Nagar, Siddhartha Nagar, Maharajganj, Kushinagar, Deoria Districts.

5. The above all Districts have approximate 25000 beds.

6. Total waste generated @ 0.274 Kg. per bed per day i.e. considering 25000 beds total waste comes to 6850 Kg. per day (calculation as per CPCB Direction given)

7. As M/s MPCC has only capacity to treat 100 kg. per hour x 20 hours running that comes to 2000 Kg. per day (this is the maximum capacity of incinerator). **(Annexed and marked as Annexure 1)**

8. Total waste collected per day 6850 Kg. - Treated waste 2000 Kg. Balance 4850 Kg. Bio Waste remains untreated on daily basis.

9. M/s MPCC has adopted to dispose 4850 Kg. per day in nearby jangal Berried underground disposing in nearby rivers. A complaint letter regarding illegal disposal by Rajesh Kumar Singh local resident is Annexed. **(Annexed and marked as Annexure 2)**

10. Hon'ble NGT is requested to look into because UPPCB is silent on this matter.

11. UPPCB has made several inspection times to time but all the time after finding irregular operation unit was allow to operate i.e. illegal.

   A. Inspection report H-36196 C-6/BMW/48/2019 Dated 25-05-2019. Storage of Bio Waste inside factory premises for 212 days was found and EC was imposed 21.20 lac which is still unpaid.
   Considering total Bio Waste quantity was 6850 x 212 days = 1452 MT. which is a huge amount Bio Waste was found by UPPCB. **(Annexed and marked as Annexure 3)**
   B. Again inspection Report By UPPCB on 13-10-2020 reference H 453849/C 6/BMW/48 Basti 2020.
   Inside factory area huge amount of untreated Bio Waste was found i.e. from 02-06-2020 to 21-09-2020. Total No. of days 111 days accumulated Bio Waste was found untreated. Considering Bio Waste on the basis of per day 6850 x 111 days which comes to 760.35 MT. **(Annexed and marked as Annexure 4)**
   UPPCB has imposed environmental compensation of 13.44 lac which is still unpaid.
   C. Total No. of days for untreated Bio Waste is 111+212323 days. Apart from this MPCC has raised the bills for payment to Govt. Hospitals and Pvt. Hospitals though the Bio Waste was not treated as per CPCB Guidelines. This is request that bills raised by MPCC for 323 days is illegal.
   As per approximate estimate on average basis the charges are 10/- rupees per bed per day and for 25000 beds x 10 = 807.5 lac. This much approximate bill was raised by MPCC but Bio Waste wear not properly disposed.
   It is against environmental law and committed financial corruption and misuse of Govt. money as well as Pvt. Hospitals.
   D. On dated 12-07-2023 UPPCB letter 140/C/402/iii/जल/2023. During inspection by R.O. Basti. It was reported that without EC and CTE M/s MPPCB has extended the unit capacity. The said letter is annexed. **(Annexed and marked as Annexure 5)**
   E. On dated 07-06-2024 from UPPCB H/2222/C6 / सहमति जल / 137/ का०ब०नो० / Basti by this letter show cause notice was served by UPPCB to M/s MPCC Khalilabad stating

यह कि क्यों न आपके CBWTF M/s Medical Pollution Control Committee (MPCC) D-33 UPSIDC औद्योगिक क्षेत्र खलीलाबाद संत कबीर नगर का समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दी जाय। **(Annexed and marked as Annexure 6)**

F. On dated 06-10-2022 With letter ref – H92680/सी-6/BMW/48/बस्ती/22 sent by CEO Circle – 6 which specifies the waste treatment of 6500 Kg/Day is not justified. **(Annexed and marked as Annexure 7)**

G. UPPCB has served show cause notice to MPCC on 07-06-2024 and without clarification on 18-09-2024 MPCC got CTO/ Authorization for 5 years till 2028 by UPPCB.
All above act done by MPCC and UPPCB are illegal unlawful and not environmentally friendly.

PRAYER

My pray is to order for closer of MPCC for unlawful illegal treatment of Bio Waste EC imposed by UPPCB to be deposited by MPCC. If environmental compensation is unpaid.

Approx bill raised by MPCC of Rs. 807.5 lac for which the Bio Waste was not treated as per CPCB guidelines. The said amount recovery notice may be allowed. Any other action by Hon'ble NGT which deemed fit on violation of environmental law and CPCB guideline 2016.

C.C.:

1. Chairman (UPPCB)
2. Member Secretory (UPPCB)

Yours's Sincerely

Amresh Singh

Amresh Singh
S/o Indresh Bahadur Singh
Village - Amhut, Basti U.P-272001
Adhar No. 729008323266
Mobile: 9554394196

4

Annexure I

By Speed Post

F. No. B-31011-BMW (3398)-2023-WM-I 4933-68 October 10, 2023

To

The Member Secretary,
All SPCB and PCC

Sub: Regarding methodology to conduct gap analysis with respect to generation and treatment of biomedical waste -reg.

Sir/Madam,

It is to inform that State Pollution Control Boards/Pollution Control Committees are required to conduct gap analysis with respect to generation and treatment of biomedical waste in respective State/UT. A format for conducting gap analysis is given in CPCB guidelines for Common Bio-medical Waste Treatment Facilities. Few State Boards have prepared gap analysis report adopting their own methodology. The matter was also discussed in Central Monitoring Committee meeting on 18.07.2023 wherein need for adopting uniform methodology was emphasised. Hence, to avoid the ambiguity and to adopt uniform procedure, CPCB has prepared a methodology to conduct gap analysis (Copy attached herewith for ready reference).

In view of above, it is requested to kindly conduct gap analysis with respect to generation and treatment of biomedical waste in your State/UT using the aforesaid methodology and report may be submitted to CPCB within one month.

Yours faithfully,

(V. P. Yadav)
Director & Head
Waste Management -I Division

Encl. As above

Copy to:

i. PS to 'MS' : For kind information of 'MS' please

(V. P. Yadav)

Scanned with OKEN Scanner

5

Methodology to Conduct gap analysis with respect to generation and treatment of biomedical waste

Guidelines for Common Biomedical Waste Treatment Facilities was prepared by CPCB with an aim to have uniformity in ensuring site selection, allowing and establishment of a state-of-the-art Common Biomedical Waste Treatment Facilities (CBWTFs), operation as well as verification of compliance to the BMWM Rules, 2016 throughout the country. As per the said guideline, SPCB/PCC is required to prepare an inventory or review with regard to the bio-medical waste generation at least once in five years in the coverage areas of the existing CBWTF and conduct gap analysis as per format given in Annexure-I of the guideline.

To avoid the ambiguity and maintaining the uniformity for conducting gap analysis a methodology is suggested for estimating generation, treatment of biomedical waste and its extrapolation in the State and coverage area of CBMWTF. It is elaborated in following table.

S. No.	Parameters	Details
1.	Coverage area of CBWTF	Up to 75 km
2.	No. of HCFs (Bedded and non-bedded)	In Number
3.	No. of Beds covered	In Number
4.	Total biomedical waste generation (in Kg/day)	The generation may be calculated considering following factors: a) Generation from Bedded hospital (in absence of availability of required information biomedical waste generation may be taken as 274 grams per bed) b) Biomedical waste generated from non-bedded HCFs and other sources also be considered
5.	Extrapolate the biomedical waste generation for next years	Extrapolation may be based on factors such as population growth of the districts/cities covered by CBWTF, Rate of increase in number of HCFs/beds in past years etc. as decided by SPCB in consultation with Health department and CBMWTF associations.
6.	Total existing treatment capacity (in Kg/day) (Sum of Incineration Capacity and Autoclave/Microwave/Hydroclave Capacity)	For calculation of existing treatment capacity, maintenance time may be considered for calculating operational hours of equipment as below: a) Operational Hours for static incinerator 20 hrs/day b) Operational hours for Rotary incinerator 22 hrs/day

Scanned with OKEN Scanner

6

		c) 18 cycle per day for autoclave The actual capacity may be considered as 90% of available capacity keeping 10% margin for diverted/extra waste etc.
7.	Total Biomedical Waste treated and disposed (Kg/day)	Sum of all categories of biomedical waste treated and disposal.
8.	Gap between total extrapolated biomedical waste generation (for next 10 years) and existing biomedical waste treatment capacity	Extrapolate the biomedical waste generation minus total existing treatment capacity

Based on the above data, the gap between existing treatment capacity and need of additional treatment capacity should be examined after carrying out gap analysis at coverage area/city level and State level.

***

Scanned with OKEN Scanner

7

Annexure
II

सेवा में,

श्रीमान प्रभारी अधिकारी महोदय,
सम्पूर्ण समाधान दिवस खलीलाबाद
जनपद–संत कबीर नगर

विषयः–हमारे निजी जमीन के सन्दर्भ में निजी सम्बन्ध में साथ उठने बैठने अजय पटेल पुत्र कृष्णा पटेल मेडिकल पालुशन कट्रोल कमेटी डी–33 इडस्ट्रियल एरिया खलीलाबाद संत कबीर नगर के मालिक (एम0पी0सी0सी0) साहू हमको बताते थे इनके कम्पनी में काला बैग में काफी मात्राा में कूडा भर कर रखा गया था।

महोदय,

मै प्रार्थी राजेश कुमार पुत्र रामधनि ग्राम बनकटवा, पोस्ट–बेलौली, संत कबीर नगर का निवासी हूँ। मैने रोड पर गढढे की जमीन लिया था उसको हमें भराई कराने की आवश्यकता थी परन्तु अजय पटेल मो0नं0–7007385414 द्वारा हम प्रार्थी को बताया गया कि हमारे काले बैग में जो कूडा भरा गया है वह एक साल में गल जायगा आप इनको डलवाकर के उपर से मिट्टी हम डलवा देगे मै प्रार्थी 27,000/रू0 की मिट्टी डलवाया हमको हमको अजय पटेल द्वारा मिट्टी की कीमत भी नही मिली अब मै प्रार्थी ईट गिरवाकर के अपना काम करना चाहा इनका एक भी कूडा गला नही है और खुदाई करवाने पर दुर्गन्ध काफी है खुदाई करने पर रास्ते पर आने जाने वाले व्यक्ति काफी आक्रोशित दिखे जिससे हमने अपने काम को बंद कर दिया मेरा कोई भी काम नही हो पाया तब मै अजय पटेल से बात किया उन्होने मेरे काम को लेकर कोई रूचि नही ली फिर मै प्रार्थी संस्था के मालिक से बात किया यह व्यक्ति सभी चीजों को जानते हुए भी बोले की मै अपने कर्मचारी से बात करूँगा मिट्टी डलवाने की जरूरत पडेगी या रूपये की जरूरत पड़ेगी मै आपकी मदद करूँगा सारी बातों की रिकार्डिंग फोन द्वारा उपलब्ध है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि हमें रूपये या मिट्टी की और किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता नही है संस्था के मालिक से कूडा हटवाने की कृपा करें।

प्रार्थी राजेश कुमार

राजेश कुमार पुत्र रामधनि
ग्राम–बनकटवा
तहसील–खलीलाबाद
जनपद–संत कबीर नगर
मो0नं0–9450909808
दिनांक–17.12.2024

Scanned with CamScanner

8

शिकायत संख्या : 40018624015525 , दिनांक - 17 Dec 2024 तक की स्थिति

आवेदनकर्ता का विवरण :

शिकायत संख्या:-
40018624015525

आवेदक का नाम-
राजेश कुमार
विषय-
सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय संत कबीर नगर
विभाग -
पुलिस
शिकायत
श्रेणी -
निस्तारण हेतु
निर्धारित समयावधि
-
16-01-2025
शिकायत
की
स्थिति
-
स्तर -
थाना स्तर
पद -
थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक
प्राप्त रिमाइंडर-
प्राप्त फीडबैक -
दिनांक को फीडबैक:-
फीडबैक की स्थिति
-
संलग्नक देखें -
Click here

नोट- अंतिम कॉलम में वर्णित सन्दर्भ की स्थिति कॉलम-5 में अंकित अधिकारी के स्तर पर हुयी कार्यवाही दर्शाता है!

अंतरित विवरण :

क्र.स.	सन्दर्भ का प्रकार	आदेश देने वाले अधिकारी	अग्रसारित दिनांक	नियत दिनांक	अधिकारी को प्रेषित	आदेश	स्थिति
1	अंतरित	ऑनलाइन सन्दर्भ	17-12-2024	16-01-2025	थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक-खलीलाबाद,जनपद-संत कबीर नगर,पुलिस		अनमार्क

Scanned with CamScanner

जनसुनवाई

समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली, उत्तर प्रदेश

सन्दर्भ संख्या:- 40018624015526

लाभार्थी का विवरण

नाम	राजेश कुमार	पिता/पति का नाम	रामधनी
मोबइल नंबर(१)	9450909808	मोबइल नंबर(२)	
आधार कार्ड न.		ई-मेल	
पता	ग्राम- बनकटा , ग्राम पंचायत - गोडही , ब्लाक - खलीला बाद , तहसील - खलीलाबाद , जिला - संत कबीर नगर		

आवेदन पत्र का ब्यौरा

आवेदन पत्र का संक्षिप्त ब्यौरा	सेवा में श्रीमान सचिव उत्तर प्रदेश प्रदूषण बोर्ड लखनऊ		
संदर्भ दिनांक	17-12-2024	पूर्व सन्दर्भ(यदि कोई है तो)	0,0
विभाग	गृह एवं गोपन	शिकायत श्रेणी	माफिया/दबंगो द्वारा उत्पीडन/समाज मे भय व्याप्त करने/ गुंडागर्दी / गुंडा टैक्स वसूलना

लाभार्थी का विवरण/शिकायत क्षेत्र का

शिकायत क्षेत्र का पता	राजस्व ग्राम- बनकटा, ग्राम पंचायत- गोडही , विकास खण्ड- खलीला वाद, तहसील- खलीलावाद, जिला- संत कबीर नगर

Scanned with CamScanner

10

उस्का बाजार स्थित बाबा हरिदास इंटर कालेज मे छात्राओ को पुरस्कार देकर सम्मानित करते प्रधानाचार्य मनोज कुमार गौतम • जागरण

इंटर कालेज पर 385 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। जिसमें हीमोग्लोबिन,वजन,स्वास्थ्य, त्वचा व नेत्र का परीक्षण किया गया। इस दौरान टीम ने स्वास्थ्य एवं पर्यावरण प्रदूषण के प्रति जागरूक करते हुए उससे होने वाले रोगों के बारे में

वाले छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण प्रदूषित होने से स्वास संबंधी रोग, हृदय रोग होने की संभावना रहती है। इस दौरान प्रधानाचार्य मनोज कुमार, ... मनीष पांडेय, पवन मित्र मौजूद रहे।

अनुबंध समाप्त, मगर कहां जा रहा मेडिकल वेस्ट

जासं, सिद्धार्थनगर : बस्ती मंडल में स्थित सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों से निकलने वाले मेडिकल वेस्ट का निस्तारण करने का जिम्मा संतकबीनगर में स्थित एमपीसीसी (मेडिकल पाल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी) के पास था। संस्था का अनुबंध पिछले वर्ष 31 दिसंबर को समाप्त हो चुका है। संस्था ने काम करना भी बंद कर दिया है। इसके बाद भी दावा है कि मंडल भर के सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों से कचरा उठाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि यदि कचरा उठ रहा है तो आखिर इसका निस्तारण कहां हो रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले की शिकायत डीएम तक पहुंच चुकी है। वहीं महर्षि वशिष्ट स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय मेडिकल में हुई शिकायत पर कंपनी ने काम बंद करने की जानकारी दी है। पर्यावरण के लिए घातक

मेडिकल कालेज परिसर में बना मेडिकल बायो वेस्ट कचरा • जागरण

अस्पतालों से निकलने वाले मानव अंग, संक्रमित सीरिंज-निडिल, काटन-पट्टियां आदि बायो मेडिकल वेस्ट की श्रेणी में आते हैं, जो पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक होते हैं। इसे खुले में फेंकने से पर्यावरण प्रदूषण के साथ ही जन-जीवन को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसके प्रभाव में आकर लोग संक्रमण के शिकार होने का डर बना रहता है। पूर्व में अनुबंधित कंपनी अस्पतालों का मेडिकल वेस्ट उठा रही है, तो इसे नष्ट कहां पर कर रही है। सीएमओ डा. रजत कुमार चौरसिया का कहना है कि कंपनी के बंद होने की जानकारी नहीं है। इसे पता कराते हैं, यदि ऐसा है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

दूसरे कंपनी में कचरा भेजने की दी जानकारी

कंपनी ने बस्ती मेडिकल कालेज को लिखित रूप से अवगत कराया है कि संतकबीनगर के प्लांट में बायो वेस्ट का निस्तारण वर्तमान समय में नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अनुबंध समाप्त होने की वजह से यह बंद है। टीएन सिंह, प्रभारी क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बस्ती मंडल ने बताया कि बायो मेडिकल वेस्ट निस्तारण करने वाली संस्था का अनुबंध समाप्त हो चुका है। फिर भी उसके कचरा उठाने की शिकायत मिल रही है। इसे कहां निस्तारित किया जा रहा है, इसकी जांच करायी जाएगी।

अधिक खांसी
टीबी मुक्त भारत
स्वास्थ्य का
निःक्षय पोषण
क्षय रोगियों
₹1500/- का
टीबी की
प्रधानमंत्री
क्षय रोगि
अधिक जा
Follow us
चिकित्सा, स्वा

12

सेवा में,

दिनांक - 21-11-2022

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय
संत कबीर नगर यू0पी0

विषय – पर्यावरण को क्षति एवं जानबुझकर क्षेत्र में संक्रमण रोग फैलाने के सन्दर्भ में।

महोदय,

MPCC का जैव चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण प्लाण्ट जो कि–**D-33 UPSIDC Industrial Area Phase- II** खलीलाबाद में स्थित है।

मान्यवर पुर्वाचंल में जिला देवरिया / गोरखपुर /कुशीनगर, महाराजगंज / श्रावस्ती /संत कबीरनगर / बस्ती / सिद्धार्थ नगर जिले में संकामक रोगो का प्रभाव अत्यधिक रहता है तथा पुरा तराई का इलाका है। हॉस्पीटल का कचड़ा जो संकमित होता है उसको Dispose करने के लिए उक्त संस्था को सरकार द्वारा कार्य दिया गया है। तथा इस निर्देश के साथ कि 10000 बेड से ज्यादा का कार्य नही करेगें । UPPCB के द्वारा निरीक्षण में पाया गया कि अपने परिसर में तथा सुनसान जगह पर जमीन के अन्दर गड्ढा खोदकर उक्त इकाई कचरे का निस्तारण कर रही है। इसी कम में UPPCB द्वारा Rs 1344000/ एवं 2120000/– का पर्यावरण क्षतिपूर्ति का फाइन लगाया गया (पत्र संलगन है) तथा इस बात का भी जिक किया गया कि लगभग एक वर्ष का कचडा (बायो वेस्ट) विधि पूर्वक निस्तारण नही किया गया इसको या तो जमीन में गाड़ दिया गया तथा जंगल में फेक दिया गया या परिसर में भंडारण किया गया। गोरखपुर मंडल / बस्ती मंड़ल /देवीपाटन मंडल मे केवल एक ही यूनिट M/S Mpcc, Khalilabad है जो कार्य करती है तथा अनुमानतः 30000 बेड तथा पैथालाजी/ क्लीनिक आदि है जिनका बायोवेस्ट का निस्तारण करने के लिए 3 और यूनिट की आवश्यकता है।

वर्तमान में M/S Mpcc, खलीलावाद निस्तारण नही कर रही है तथा भंडारण गुप्त जगह पर कर रही है। कृपया इसकी जांच एक कमेटी द्वारा कराने की कृपा करें क्योंकि विभाग की मिली गत से यह कार्य हो रहा है।

महोदय संक्रमण अगर रोका नही गया तो पुर्वांचल में Encephalitis/Covid/ Infection आदि संकमित रोगो को रोकना अत्यन्त कठिन होगा।

आशा है कि इस पर आप त्वरित कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।

भवदीय

K.K. Singh

कुवर कांति सिंह
ग्राम एवं पोस्ट –नई कोट
जिला – महाराजगंज
मो0 न0– 914093888

कार्यालय जिलाधिकारी, सन्तकबीरनगर।

आदेश

श्री कुंवर कांति सिंह, निवासी ग्राम एवं पो0 नई कोट, जिला महराजगंज द्वारा यह तथ्य संज्ञान में लाया गया है कि मेडिकल पॉल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी का जैव चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण प्लान्ट डी–33 यू0पी0एस0आई0डी0सी0 औद्योगिक क्षेत्र फेज–2 खलीलाबाद में स्थित है किन्तु उक्त यूनिट द्वारा हास्पीटल का कचड़ा, जो संक्रमित होता है, उक्त चिकित्सा अपशिष्ट सामग्री को जानबूझकर विधि पूर्वक खलीलाबाद में निस्तारण नहीं किया जा रहा है बल्कि किसी गुप्त जगह भण्डारण करके, किसी सुनसान जगह पर जमींन के अन्दर गड्ढा खोदकर गाड़ दिया जाता है अथवा जंगल में फेंक दिया जाता है जिससे संक्रमण रोग फैल सकता है। यह स्थिति अत्यन्त ही आपत्तिजनक है। उक्त प्रकरण की जॉच करने हेतु निम्नानुसार टीम गठित की जाती है।

क्रम संख्या	जॉच अधिकारी का पदनाम	जॉच हेतु नामित पदनाम
1	उप जिलाधिकारी, खलीलाबाद, सन्त कबीर नगर।	अध्यक्ष
2	क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती।	सदस्य

उक्त सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि दिनॉक 23–01–2023 को संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण करके वास्तविकता की जॉच करके अपनी स्पष्ट आख्या उसी दिन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे अग्रेतर कार्यवाही प्रचलित किया जा सके।

(प्रेम रंजन सिंह)
जिलाधिकारी,
संत कबीर नगर।

पत्रॉक 30 /ओ0एस0डी0/2022–23 दिनॉक 23 जनवरी 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर जिलाधिकारी (वि/रा) सन्तकबीरनगर।
2. उप जिलाधिकारी, खलीलाबाद, सन्तकबीरनगर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती।

जिलाधिकारी,
संत कबीर नगर।

Scanned with OKEN Scanner

13

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. H36476 /सी-6/BMW/48/2019 Dated 20-5-19

सेवा में,

मे0 मेडिकल पॉल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी,
डी0–33, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, औद्योगिक क्षेत्र,
खलीलाबाद, संतकबीर नगर.

विषय :–संस्था द्वारा किए गए विगत उल्लंघन को दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने के संबंध में।

महोदय,

आपकी संस्था का बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय बस्ती द्वारा दिनांक 13.07.2017 को निरीक्षण किया गया था। उक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर संस्था के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथा संशोधित की धारा–33ए0 के अन्तर्गत दिनांक 29.09.2017 को कारण बताओं नोटिस प्रेषित किया गया था। संस्था का क्षेत्रीय कार्यालय बस्ती द्वारा दिनांक 26.10.2017 एवं दिनांक 04.06.2018 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि संस्था द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 तथा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स 2016 का अनुपालन नहीं किया गया है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए संस्था के विरूद्ध जारी कारण बताओं नोटिस दिनांक 29.09.2017 की पुष्टि करते हुए दिनांक 25.06.2018 को बन्दी आदेश जारी किया गया। इस प्रकार संस्था द्वारा 212 दिनों का उल्लंघन किया गया। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, की मार्गदर्शिका के अनुसार संस्था पर प्रतिदिन रू0 10,000 (रू0 दस हजार मात्र) पर्यावरणीय क्षति आंकलित होती है। संस्था द्वारा 212 दिनों का उल्लंघन किया गया है। इस प्रकार संस्था पर रू 21.20 लाख (रू0 इक्कीस लाख बीस हजार मात्र) कुल पर्यावरणीय क्षति का आंकलन किया जाता है। संस्था से पूर्व में रू0 50,000 (रू0 पचास हजार मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप मे धनराशि को बोर्ड में जमा कराया गया है।

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए मे0 मेडिकल पॉल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, डी0–33, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, औद्योगिक क्षेत्र, खलीलाबाद, संतकबीर नगर, पर रू0 20.70 लाख (रू0 बीस लाख सत्तर हजार मात्र) का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थिति बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड UBIN0570150 में एक सप्ताह के

अन्दर जमा कर जमा की गई धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीत्र कार्यालय व बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–6

प्रतिलिपि :–

1 क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
वृत्त–6

15

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

No. H53849/सी-6/B.M.W/48/बस्ती/2020 Dated 13/10/2020

पंजीकृत

मेसर्स मेडिकल पॉल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी,
डी-33, यू.पी.एस.आई.डी.सी.,
औद्योगिक क्षेत्र, खलीलाबाद,
संतकबीर नगर।

विषयः संस्था के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध।

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक-एच.53186/सी0-6/बी0एम0डब्ल्यू0/48/बस्ती/2020 दिनांक 23.09.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संस्था के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत निम्न निर्देश जारी किये गये है :-

1. यह कि मेसर्स मेडिकल पॉल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, औद्योगिक क्षेत्र, खलीलाबाद, संतकबीर नगर द्वारा संस्था में भण्डारित कोविड-19 एवं अन्य बायो मेडिकल वेस्ट का निस्तारण कानपुर देहात स्थित टी.एस.डी.एफ. के इन्सीनिरेटर में निस्तारित करना सुनिश्चित करें।
2. यह कि मेसर्स मेडिकल पॉल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, औद्योगिक क्षेत्र, खलीलाबाद, संतकबीर नगर द्वारा किसी भी दशा में कोविड-19 एवं अन्य बायो मेडिकल वेस्ट का भण्डारण परिसर में न किया जाये।
3. यह कि मेसर्स मेडिकल पॉल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, औद्योगिक क्षेत्र, खलीलाबाद, संतकबीर नगर द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016 एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कोविड-19 वेस्ट के निस्तारण हेतु निर्धारित गाइड लाइन रिवीजन-04 का अक्षरशः से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

उपरोक्त निर्देशों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही की सूचना बोर्ड को अवगत करायें। उक्त के अतिरिक्त संस्था मेसर्स मेडिकल पॉल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, औद्योगिक क्षेत्र, खलीलाबाद, संतकबीर नगर द्वारा किये गये कोविड-19 वेस्ट एवं अन्य बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण नियमानुसार/गाइड लाइन के अनुरूप नही किये जाने के दृष्टिगत क्यों न मेसर्स मेडिकल पॉल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, औद्योगिक क्षेत्र, खलीलाबाद संतकबीर नगर के विरूद्ध दिनांक 02.06.2020 से दिनांक 21.09.2020 तक के उल्लंघन को दृष्टिगत रखते हुये रू0 13,44,000/- (रू0 तेरह लाख चौवालिस हजार मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय बस्ती द्वारा संस्था का निरीक्षण दिनांक 08.10.2020 को किया गया। निरीक्षण के समय संस्था परिसर के अन्दर अधिकाधिक मात्रा में बायोमेडिकल वेस्ट कोविड-19 वेस्ट एवं कोविड-19 के अतिरिक्त अन्य बायोमेडिकल वेस्ट का भण्डारण किया हुआ पाया गया। उक्त भण्डारण खुले में तथा कुछ सेड के अन्दर बैग्स में भण्डारित पाया गया है। परिसर के अन्दर खुले में भण्डारित अधिक मात्रा में बायोमेडिकल वेस्ट के भण्डारण से आस-पास के क्षेत्र में तीव्र दुर्गन्ध व्याप्त पाई गई।

संस्था में स्थापित इन्सीनिरेटर की क्षमता के सापेक्ष अत्यधिक भार (ओवरलोड) है प्रतिदिन 16 से 18 घण्टे लगातार संचालन के उपरान्त भी परिसर के अन्दर कोविड-19 व उक्त वेस्ट के अतिरिक्त अन्य बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण प्रतिदिन नहीं किये जाने से परिसर के अन्दर अधिकाधिक मात्रा में बायोमेडिकल वेस्ट खुले में भण्डारित किया गया है।

बोर्ड द्वारा जारी निर्देश दिनांक 23.09.2020 का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय बस्ती के पत्र दिनांक 25.09.2020 एवं 05.10.2020 द्वारा संस्था को नोटिस प्रेषित किया गया है। संस्था द्वारा उक्त नोटिस में उल्लिखित बिन्दुओं का अनुपालन नहीं किया गया है। संस्था के परिसर के अन्दर भण्डारित बायोमेडिकल वेस्ट (कोविड-19) एवं कोविड-19 वेस्ट के अतिरिक्त अन्य बायोमेडिकल वेस्ट को निस्तारण कानपुर देहात स्थित टी0एस0डी0एफ0 के इन्सीनिरेटर में निस्तारण किये जाने की कोई भी प्रगति/अनुपालन की कार्यवाही नहीं की गई है।

संस्था ने अपने पत्र दिनांक 03.10.2020 एवं 04.10.2020 द्वारा बोर्ड द्वारा जारी निर्देश की अनुपालन आख्या प्रेषित किया है। परन्तु क्षेत्रीय कार्यालय के निरीक्षण आख्या दिनांक 08.10.2020 को दृष्टिगत रखते हुए उक्त अनुपालन आख्या तथ्यों से परे एवं असत्य है। इस प्रकार संस्था द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत जारी निर्देश दिनांक 23.09.2020 का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

उक्त के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा संस्था के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की है।

दिनांक 25.09.2020 को बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय बस्ती द्वारा संस्था की शुद्धिकृत उत्प्रवाह का नमूना एकत्र किया गया था। नमूने की विश्लेषण आख्या में बी0ओ0डी0 की मात्रा 42 मि0ग्रा0/ली0 तथा सी0ओ0डी0 की मात्रा 272 मि0ग्रा0/ली0 पाई गई है। जोकि निर्धारित मानकों से अधिक है।

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त संस्था के विरुद्ध रू0 13.44 लाख (रू0 तेरह लाख चौवालिस हजार मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है। उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि विलम्बतम् 15 दिन में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104 IFSC कोड UBIN 0570150 में जमा करना सुनिश्चित करें अन्यथा संस्था के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था के संचालको का होगा।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-6)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. जिलाधिकारी, संतकबीर नगर।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, संतकबीर नगर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती को इस आशय के साथ प्रेषित कि संस्था के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि जमा कराये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यावाही करना सुनिश्चित करें।
4. लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-6)

17 8

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. 158876/C-6/B.M.W./48/M.P.C.C/2021 Date 2/2/21

सेवा में, ई-मेल द्वारा

जिलाधिकारी,
संतकबीर नगर।

विषयः मेसर्स मेडिकल पॉल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी (एम.पी.सी.सी). डी-33, यू.पी.एस.आई.डी.सी., औद्योगिक क्षेत्र, खलीलाबाद, संतकबीर नगर के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 13.44 लाख (रू0 तेरह लाख चौवालिस हजार मात्र) को भू-राजस्व की भाँति वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक एच.53849/सी-6/बी.एम.डब्लू./48/बस्ती/2020 दिनांक 1: 10.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मेसर्स मेडिकल पॉल्यूशन कन्ट्रेल कमेटी (एम.पी.सी.सी डी-33, यू.पी.एस.आई.डी.सी., औद्योगिक क्षेत्र, खलीलाबाद, संतकबीर नगर के विरूद्ध रू0 13.44 लाख (रू0 तेरह लाख चौवालिस हजार मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है (पत्र की छाया प्रति संलग्न)। संस्था द्वारा उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि बोर्ड में अभी तक जमा नही किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 72/2020 में दोषी हेल्थ केयर फैसेलेटीज एवं सी.बी.डब्लू.टी.एफ. के विरूद्ध बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि की रिकवरी हेतु दिनांक 18.01.2021 को निम्नानुसार आदेश पारित किये गये है:-

"VII. RECOMMENDATIONS BY THE OVERSIGHT COMMITTEE

In view of the above, we recommend as follows:

(15) *EC of Rs. 7.60 Cr and Rs. 1.43 Cr have been imposed against 141 HCFs and 08 CBWTFs respectively. The imposed penalty has yet not been realized. State PCB may be directed to take necessary action and ensure realization of EC as per the prescribed procedure.*

11. *The report is accepted and further action may be taken in terms of the recommendations by the concerned authorities in the State of UP, which may be monitored by the Chief Secretary, UP. Apart from the action to be taken in the State of UP, all the States/UTs may take further follow up action in terms of para 8 above which may be reviewed by the Chief Secretaries of all the States/UTs and also monitored by the CPCB at the national level.*

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये आपसे अनुरोध है कि संस्था के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 13.44 लाख (रू0 तेरह लाख चौवालिस हजार मात्र) की भू-राजस्व की भाँति वसूली कराने का कष्ट करें जिससे माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.01.2021 का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

भवदीय,

संलग्नक :- यथोपरि।

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री एल0एम0 सोनी, पी0पी0एस0, माननीय ओवर साईट कमेटी, पर्यावरण निदेशालय, विनीत खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, संतकबीर नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संस्था के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि की वसूली हेतु जिलाधिकारी, संतकबीर नगर से सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही करायें।

सदस्य सचिव

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010
Phone: 2720831, 2720823, 2720691 & 2720831 - Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.com

Annexure V

18

प्रदूषण रोकिए!
पर्यावरण बचाइए!!

दूरभाष एवं फैक्स : 05542–281440
Phone & Fax : 05542–281440

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती
Regional Office
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, BASTI

संदर्भ संख्या : 140/मि-402/(iii)/भ०ला/2023 दिनांक : 12-07-2023

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–6)
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी0सी0–12 वी0, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

विषयः–मेसर्स मेडिकल पॉल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी(एम0पी0सी0सी0), डी0–33, यू0पी0एस0आई0डी0सी0 औद्योगिक क्षेत्र, खलीलाबाद, जनपद–संतकबीरनगर की निरीक्षण आख्या प्रेषण के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मेसर्स मेडिकल पॉल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी(एम0पी0सी0सी0), डी0–33, यू0पी0एस0आई0डी0सी0 औद्योगिक क्षेत्र, खलीलाबाद, जनपद–संतकबीरनगर का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 27.06.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि संस्था में नये इन्सीनरेटर व चिमनी की स्थापना कर क्षमता विस्तार किया जा रहा है। उक्त संस्था द्वारा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्राविधानो के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये जाने के संबंध में कोई सूचना नही दी गयी है और न ही राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति प्राप्त की गयी है। निरीक्षण आख्या पत्र के साथ संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित प्रेषित है।

भवदीय

12/7/2023
(डॉ0 टी0एन0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी
ह/C

19

मेसर्स मेडिकल पॉल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी(एम0पी0सी0सी0), डी0 33, यू0पी0 एस0आई0डी0सी0 औद्योगिक क्षेत्र, खलीलाबाद, जनपद संतकबीरनगर की स्थलीय निरीक्षण आख्या।

उक्त सी0बी0डब्ल्यू0टी0एफ0 मेसर्स मेडिकल पॉल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी(एम0पी0सी0सी0), डी0-33, यू0पी0 एस0आई0डी0सी0 औद्योगिक क्षेत्र, खलीलाबाद, जनपद संतकबीरनगर का स्थलीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरीगण द्वारा दिनांक 27.06.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय सी0बी0डब्ल्यू0टी0एफ0 संस्था संचालित पाया गया तथा श्री विजय सिंह यादव, प्लांट सुपरवाइजर संस्था प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-

1. उक्त संस्था एक कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट फैसिलिटी है। निरीक्षण के समय उपस्थित संस्था प्रतिनिधि द्वारा दी गयी सूचनानुसार सी0बी0डब्ल्यू0टी0एफ0 में जनपद-बस्ती, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, देवरिया, महराजगंज एवं कुशीनगर में स्थापित हेल्थ केयर फैसिलिटीज से जनित बायोमेडिकल वेस्ट के ट्रीटमेन्ट एवं डिस्पोजल हेतु संस्था से प्राप्त मेम्बरशिप एवं एग्रीमेन्ट के अनुसार बायोमेडिकल वेस्ट का ट्रीटमेन्ट एवं डिस्पोजल किया जाता है।
2. उक्त सी0बी0डब्ल्यू0टी0एफ0 मे बायोमेडिकल वेस्ट के ट्रीटमेन्ट एवं डिस्पोजल फैसिलिटीज के अन्तर्गत डबल चैम्बर्ड इन्सीनरेटर-1अदद, आटोक्लेव-1अदद एवं श्रेडर-1अदद की व्यवस्था स्थापित है। संस्था में इन्सीनरेटर क्षमता-100किग्रा0/घंटा, आटोक्लेव की क्षमता-500लीटर/बैच एवं श्रेडर की क्षमता-50किग्रा0/घंटा है।
3. उक्त संस्था में स्थापित डबल चैम्बर्ड इन्सीनरेटर में सेमी आटोमेटिक फीडिंग की व्यवस्था की गयी है, किन्तु सेमी आटोमेटिक फीडिंग की व्यवस्था निरीक्षण के समय कार्यरत नही पायी गयी तथा बायोमेडिकल वेस्ट की फीडिंग मैनुअली किया जा रहा था। निरीक्षण के समय प्राइमरी चैम्बर का तापक्रम 958°C एवं सेकण्डरी चैम्बर का तापक्रम 1144°C पाया गया।
4. संस्था में स्थापित डबल चैम्बर्ड इन्सीनरेटर से जनित गैसीय उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में वेन्चुरी स्क्रबर एवं भू-तल से लगभग 30मीटर ऊँची चिमनी की व्यवस्था स्थापित है।
5. संस्था में स्थापित इन्सीनरेटर के प्राइमरी एवं सेकेण्डरी चैम्बर में तापमान के मापन हेतु व्यवस्था की गयी है। कन्ट्रोल पैनल पर तापमान, इमीशन मानीटरिंग(CO & CO2), फ्लो रेट मापन की व्यवस्था है।
6. संस्था में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं औद्योगिक प्रयोजन में संस्था परिसर के फर्श की धुलाई, वेन्चुरी स्क्रबर एवं जैव चिकित्सा अपशिष्ट के परिवहन में प्रयुक्त वाहनों की धुलाई में की जाती है। घरेलू प्रयोजन के फलस्वरूप जनित बहिश्राव के शुद्धिकरण हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट की व्यवस्था स्थापित है।
7. संस्था में औद्योगिक प्रयोजन के फलस्वरूप जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र की व्यवस्था स्थापित है, जिसकी प्रमुख इकाईयां निम्नवत् है:-

   i. बार स्क्रीन
   ii. ऑयल एण्ड ग्रीस ट्रेप
   iii. इक्वलाइजेशन टैंक
   iv. केमिकल डोजिंग कम मिक्सिंग टैंक
   v. फ्लाकुलेशन टैंक
   vi. क्लेयरीफायर
   vii. सुपरनेटेन्ट टैंक
   viii. ड्यूअल मीडिया फिल्टर
   ix. एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर
   x. ट्रीटेड वाटर टैंक
   xi. डिस्इंफेक्शन यूनिट
   xii. स्लज ड्राइंग बेड्स

210

निरीक्षण के समय उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र की उक्त सभी इकाईयां कार्यरत पायी गयी। ई0टी0पी0 के इनलेट एवं आउटलेट पर उत्प्रवाह की मात्रा के मापन हेतु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर निरीक्षण के समय स्थापित पाया गया। निरीक्षण के समय ई0टी0पी0 के इनलेट एवं आउटलेट से उत्प्रवाह के नमूनो का एकत्रण कर विश्लेषण हेतु केन्द्रीय प्रयोगशाला, लखनऊ में जमा कराया गया है। विश्लेषण आख्या अपेक्षित है।

8. इन्सीनरेटर ऐश एवं ई0टी0पी0 स्लज के समुचित एवं सुरक्षित निस्तारण हेतु संस्था द्वारा मेसर्स भारत ऑयल एण्ड वेस्ट मैनेजमेन्ट लि0(टी0एस0डी0एफ0), ग्राम–कुम्बी, तहसील–अकबरपुर, कानपुर देहात से सदस्यता प्राप्त किया गया है।
9. संस्था में स्थापित श्रेडर से जनित श्रेडेड ट्रीटेड प्लास्टिक वेस्ट को मेसर्स सीताराम प्लास्टिक, भावना, इण्डस्ट्रीयल एरिया, दिल्ली को रिसाइकिलिंग हेतु भेजा जाता है।
10. निरीक्षण के समय परिसर में एक अदद नया डबल चैम्बर इन्सीनरेटर स्थापित किया हुआ पाया गया, इन्सीनरेटर से संबद्ध नई चिमनी स्थापित पायी गयी। संस्था में नये इन्सीनरेटर व चिमनी की स्थापना से यह लगता है कि संस्था द्वारा क्षमता का विस्तार किया जा रहा है। उक्त संस्था द्वारा क्षमता विस्तार किये जाने से पूर्व पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्राविधानो के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति किये जाने के संबंध में कोई सूचना नही दी गयी है और न ही राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति प्राप्त की गयी है। उद्योग द्वारा किंया रहा उक्त कार्य असंवैधानिक है एवं एक दण्डनीय अपराध है।

अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में उद्योग के विरूद्ध नियमानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

12/7/2023
(पराशर कुमार पाण्डेय)
प्रयोगशाला सहायक

12-7-23
(अरूण कुमार श्रीवास्तव)
वैज्ञानिक सहायक

12/7/23
क्षेत्रीय अधिकारी

Annexure VI

21

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या H/12222/सी–6/सहमति जल–137/का०ब०नो०/बस्ती/2024 दिनांक 7.6.24

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स मेडिकल पॉल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी (एम०पी०सी०सी०),
डी–33, यू.पी.एस.आई.डी.सी., औद्योगिक क्षेत्र, खलीलाबाद,
संतकबीर नगर।
मो० नं० 9235659305

यह कि मेसर्स मेडिकल पॉल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी (एम०पी०सी०सी०), डी–33, यू.पी.एस.आई.डी.सी. औद्योगिक क्षेत्र, खलीलाबाद, संतकबीर नगर जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, जो जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है।

यह कि संदर्भित सीबीडब्लूटीएफ मेसर्स मेडिकल पॉल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी (एम०पी०सी०सी०), डी–33, यू.पी.एस.आई.डी.सी., औद्योगिक क्षेत्र, खलीलाबाद, संतकबीर नगर का निरीक्षण उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बार्ड के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 13.03.2024 के माध्यम से गठित समिति द्वारा दिनांक 05.04.2024 को किया गया। समिति की आख्या के सुसंगत अंश निम्नवत हैं :–

"........5. इकाई में फ्लोर वाशिंग, वेहिकल टायर वाशिंग प्लेट फार्म एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था (स्कबर) से जनित वेस्ट वाटर के शोधन हेतु 10 केएलडी क्षमता का उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र (ईटीपी) स्थापित है। निरीक्षण के समय इकाई में स्थापित ईटीपी का संचालन एवं रखरखाव संतोषजनक नही पाया गया।

6. निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय, बस्ती द्वारा ईटीपी के इनलेट एवं आउटलेट से उत्प्रवाह नमूने एकत्रित किये गये। उक्त नमूने का विश्लेषण केन्द्रीय प्रयोगशाला बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ से कराया गया। विश्लेषण आख्या दिनांक 16.04.2024 बोर्ड मानकों के अनुरूप नही पायी गई। विश्लेषण आख्या की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक–1)

10. निरीक्षण के दौरान इकाई परिसर में ग्राउण्ड लेवल तक अर्ध निर्मित व्यवस्था में आर.सी.सी. टैंक पाया गया, जिसके सम्बन्ध में इकाई प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त टैंक ई.टी.पी. अपग्रेडेशन हेतु बनवाया जा रहा था परन्तु अब तक उक्त निर्माण कार्य रोक दिया गया है। निरीक्षण के समय भी निर्माण संबंधी कार्य होता नही पाया गया।

11. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि इकाई का संचालन एवं रख–रखाव तथा इकाई में हाउस कीपिंग सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

12. सी.बी.डब्लू.टी.एफ. इकाई वर्तमान में बिना राज्य बोर्ड से जल/वायु सहमति तथा हैजार्डस वेस्ट अथराइजेशन प्राप्त किए संचालित है........"

यह कि उपरोक्त वर्णित समिति की आख्या में संदर्भित सीबीडब्लूटीएफ मेसर्स मेडिकल पॉल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी (एम०पी०सी०सी०), डी–33, यू.पी.एस.आई.डी.सी., औद्योगिक क्षेत्र, खलीलाबाद, संतकबीर नगर के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु संस्तुति की गयी है।

अतएव जनहित एवं जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिये यह आवश्यक है कि सीबीडब्लूटीएफ के संचालन रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–33ए के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपके सीबीडब्लूटीएफ के विरूद्ध निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किये जाते हैः–

1. यह कि क्यों न आपके सीबीडब्लूटीएफ मेसर्स मेडिकल पॉल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी (एम०पी०सी०सी०), डी–33, यू.पी.एस.आई.डी.सी., औद्योगिक क्षेत्र, खलीलाबाद, संतकबीर नगर की समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दी जाये।

Scanned with OKEN Scanner

2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाये कि वह आपके सीबीडब्लूटीएफ मेसर्स मेडिकल पॉल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी (एम0पी0सी0सी0), डी–33, यू.पी.एस.आई.डी.सी., औद्योधिक क्षेत्र, खलीलाबाद, संतकबीर नगर को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जलापूर्ति तथा अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दे।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न माननीय एन0जी0टी0, नई दिल्ली के आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित गाइड लाइन के अनुसार सीबीडब्लूटीएफ मेसर्स मेडिकल पॉल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी (एम0पी0सी0सी0), डी–33, यू.पी.एस.आई.डी.सी., औद्योधिक क्षेत्र, खलीलाबाद, संतकबीर नगर के विरूद्ध दिनांक 06.04.2024 से सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने तक पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना पक्ष 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। उद्योग द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर न प्रेषित करनें अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में सीबीडब्लूटीएफ के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 यथासंशोधित की धारा–33ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं सीबीडब्लूटीएफ एवं सीबीडब्लूटीएफ स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–6)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, सन्तकबीर नगर।
2. पुलिस अधीक्षक, सन्तकबीर नगर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 विद्युत वितरण खण्ड, सन्तकबीर नगर।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार निर्गत निर्देश की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर 15 दिन के अन्दर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,
(वृत्त–6)

Scanned with OKEN Scanner

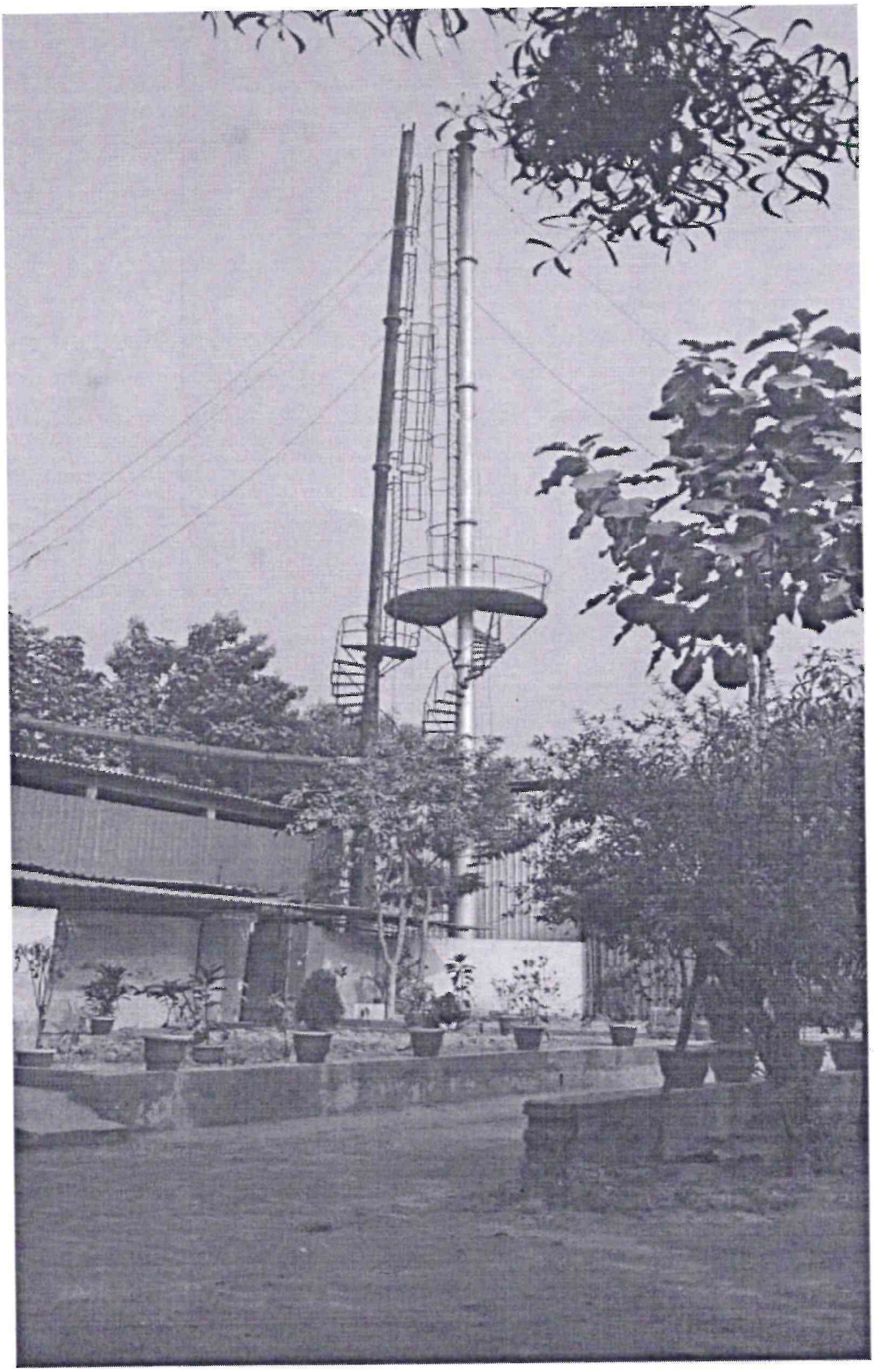

274

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

TC-12V, Vibhuti Khand,Gomti Nagar, Lucknow-226010

Phone:0522-2720828, 2720831 Fax:0522-2720764

Email: info@uppcb.com Website: www.uppcb.com

FORM III

(See Rule 10)

AUTHORISATION

(AUTHORISATION FOR OPERATING A FACILITY FOR COLLECTION, RECEPTION, TREATMENT, STORAGE, TRANSPORT AND DISPOSAL OF BIOMEDICAL WASTES)

Category : RED **Application Id : 26563354**

1. File no. of authorisation and date of issue: No:- 26563354 and Date:-18/09/2024

2. M/s MEDICAL POLLUTION CONTROL COMMITTEE, VINAY KUMAR VERMA an occupier or operator of the facility located at D-33, UPSIDC, Industrial Area, Khalilabad, Sant Kabir Nagar ,SANT KABIR NAGAR,272175 is hereby granted an authorisation for:

Generation, segregation		**Collection**	✓
Storage	✓	**Transportation**	✓
Reception	✓	**Use**	
Recycling		**Offering for sale**	
Packaging		**Transfer**	
Treatment or Processing or Conversion	✓	**Disposal or destruction**	✓
Any other form of handling			

3. M/s MEDICAL POLLUTION CONTROL COMMITTEE is hereby authorized for handling of biomedical waste as per the capacity given below:

(i) Number of beds of HCF:

(ii) Number of health care facilities covered by CBMWTF:

(iii) Installed treatment and disposal capacity: Incinerator (100 Kg/hr), Autoclave (500 Liter/hr) and Shredder-(50 Kg/hr).

(iv) Area or distance covered by CBMWTF: As per directions/guidelines of CPCB

(v) Quantity of Biomedical waste handled, treated or disposed:

4. This authorisation shall be in force for a period of Five Years from the date of issue.

4.1 The authorization shall be valid for till 31/12/2028

25

5. This authorisation is subject to the conditions stated below and to such other conditions as may be specified in the rules for the time being in force under the Environment (Protection) Act, 1986

Rajendra Singh
Digitally signed by Rajendra Singh
Date: 2024.09.18 16:04:55 +05'30'
Chief Environmental Officer, Circle-6

Terms and Conditions of Authorisation

1. The authorisation shall comply with the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 and the rules made there under.

2. The authorisation or its renewal shall be produced for inspection at the request of an officer authorised by the prescribed authority.

3. The person authorized shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the biomedical wastes without obtaining prior permission of the prescribed authority.

4. Any unauthorised change in personnel, equipment or working conditions as mentioned in the application by the person authorised shall constitute a breach of his authorisation.

5. It is the duty of the authorised person to take prior permission of the prescribed authority to close down the facility and such other terms and conditions may be stipulated by the prescribed authority.

6. The Unit will file the renewal application at least 2 months prior to the expiry of this Order

Specific Conditions:

1. This authorization is valid for CBWTF at D-33, UPSIDC Industrial Area, Khalilabad, Santkabir Nagar by M/s MEDICAL POLLUTION CONTROL COMMITTEE having plant capacity- Incinerator (100 Kg/hr), Autoclave (500 Liter/hr) and Shredder-(50 Kg/hr). In case of any change, No Objection Certificate shall be obtained from the Board.

2. The Authorization shall comply with provisions of the Environment (Protection) Act 1986 and the rules made there under.

3. The Authorization or its renewal shall be produced for inspection at the request of an officer, Authorized by the prescribed authority.

4. CBWTF will strictly comply with the provisions of Guidelines for Monitoring compliance of CBWTF prepared by CPCB.

5. The Authorized person shall not rent, lend, transfer or otherwise transport the bio-Medical waste without obtaining prior permission of the prescribed authority.

6. It is duty of the Authorized person to take prior permission of the Board to close down the facility and such other terms and conditions may be stipulated by the prescribed authority.

7. Any unauthorized change in personnel, equipment or working condition as mentioned in the application by the person authorized shall constitute a breach of his authorization.

8. Bio- Medical waste shall not be mixed with other waste.

9. Bio- Medical waste shall be segregated into containers/ bags at the point of generation in accordance with schedule II. Prior to its storage, transportation, treatment and disposal. The Containers shall be labeled according to schedule III.

10. No untreated bio medical waste shall be kept stored beyond a period of 48 hours.

11. You shall submit an annual report to the U.P. Pollution Control Board in form IV by 30th June every year. And include information about the categories and quantities of Bio Medical waste during the preceding year.

12. You shall maintain record related to the generation, collection, reception storage, Transportation, treatment and disposal and/or any form of handling of Bio Medical Waste in accordance with rule and guidelines, all records shall be subject to inspection and verification by the Board at any time.

13. It is within the power and functions of U.P. Pollution Control Board to modify/ revoke the terms and conditions of Authorization and issued under the Rule 7 (8) of the Bio-Medical waste Management Rules, 2016.

14. You are herby directed to comply the stipulated above mentioned conditions and submit the compliance report and steps taken in this regard within a month so that capacity of the facility may be verified failing which the authorization may be revoked and necessary legal proceeding shall be initiated.

15. The Bio medical waste shall not be disposed in open place in the premises.

16. The CBWTF shall maintain logbook for the disposal of bio medical waste.

17. Discarded medicine shall be disposed in incinerator as per BMW Rule, 2016 and sharp pit shall be provided for disposal of waste sharp as per CPCB Guidelines.

18. The CBWTF shall comply with the Bio Medical Waste Management Rules 2016 and annual report shall be submitted.

19. The CBWTF shall comply with the provisions of Hazardous and Other waste (Management and Trans boundary Movement) Rules, 2016.

20. The facility shall ensure bar coding system to be adopted by member of healthcare facility in accordance with Bio Medical Waste Management Rules 2016.

21. The CBWTF shall obtain the State Ground Water Department permission for withdrawal of ground water and also comply with the CGWA guidelines for recharging of ground water.

22. Separate space for untreated Bio Medical Waste shall be maintained by facility as per CPCB guidelines/Bio Medical Waste Management Rules 2016.

23. Comprehensive safety measures must be followed in handling of wastes and the staff must be properly trained.

24. The CBWTF shall connect OCEMS to CPCB server before commissioning of the plant.

25. Onsite emergency plan approved by the competent authority shall be submitted to board.

26. The coverage area of the CBWTF will be as per the directions/guidelines of the CPCB/UPPCB.

27. The CBWTF shall abide by orders / directions issued by Hon'ble Supreme Court Hon'ble High Court, Hon'ble National Green Tribunal, Central Pollution Control Board and U.P Pollution Control Board for protection and safe guard of environment from time to time.

28. The CBWTF shall produce a MoU with the nearest CBWTF as an alternate arrangement in case of closure/any emergency within one month.

29. Concealing factual data or submission of false/fabricated data and failure to comply with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this authorization and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

Rajendra Singh

Digitally signed by Rajendra Singh
Date: 2024.09.18 16:05:35 +05'30'

Memo No.: 26563354 Dated:18/09/2024

Copy To:

Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Basti for information and necessary action.

Annexure-7

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. H 92690/सी-6/BMW/48/बस्ती/22 Dated 6-10-22

ई-मेल/महत्वपूर्ण

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
बस्ती।

विषयः मेसर्स मेडिकल पॉल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, खलीलाबाद, संतकबीर नगर को बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच 36107/सी-6/बीएमडब्लू/48/2019 दिनांक 18.05.2019 के माध्यम से जैव चिकित्सा अपशिष्ट हेतु निर्गत प्राधिकार के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मेसर्स मेडिकल पॉल्यूशन कन्ट्रोल कमेटी, खलीलाबाद, संतकबीर नगर को बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच 36107/सी-6/बीएमडब्लू/48/2019 दिनांक 18.05.2019 के माध्यम से जैव चिकित्सा अपशिष्ट हेतु निर्गत संलग्न प्राधिकार का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त प्राधिकार में उल्लिखित है कि संदर्भित सी0बी0डब्लू0टी0एफ0 द्वारा 6500 कि0ग्रा0/दिन जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निस्तारण किया जाना स्वीकृत है जबकि उक्त सी0बी0डब्लू0टी0एफ0 में 100 कि0ग्रा0/घन्टा क्षमता का इन्सीनिरेटर, 50 लीटर/घन्टा क्षमता का आटोक्लेव तथा 50 कि0ग्रा0/घन्टा क्षमता का श्रेडर स्थापित उल्लिखित है।

संदर्भित सी0बी0डब्लू0टी0एफ0 में उपलब्ध संयंत्र की क्षमता के सापेक्ष अनुमन्य जैव चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण क्षमता (6500 कि0ग्रा0/दिन) के समतुल्य उचित नहीं है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि सी0बी0डब्लू0टी0एफ0 के अनुश्रवण हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्गित Guideline for Monitoring Compliance of Common Biomedical Watse Treatment Facilities by State Pollution Control Boards में उपलब्ध चेकलिस्ट (छाया प्रति संलग्न) के अनुसार संदर्भित सी0बी0डब्लू0टी0एफ0 का निम्नलिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में निरीक्षण करते हुये संस्तुति सहित विस्तृत निरीक्षण आख्या एक सप्ताह में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:-

1. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित Guideline for Monitoring Compliance of Common Biomedical Watse Treatment Facilities by State Pollution Control Boards में उपलब्ध चेकलिस्ट में पूर्ण सत्यापित सूचना।
2. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा Guidelines for Common Bio-medical Waste Treatment and Disposal Facilities में वर्णित प्राविधानों की अनुपालन की स्थिति।
3. सी0बी0डब्लू0टी0एफ0 से सम्बद्ध हेल्थ केयर फैसेलेटीज के सम्बन्ध में निर्धारित संलग्न प्रारूप पर सूचना।

भवदीय,

संलग्नकः-यथोपरि।

(आर0के0 सिंह)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-6)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

445

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. H.3.6/07 /C-6/13.M.W/48/2019 *Dated* 18/05/2019

FORM-III
(See rule 10)

AUTHORISATION

(Authorisation for operating a facility for collection, reception, treatment, storage, transport and disposal of biomedical wastes)

1. File number of authorization and date of issue . . . .

2. Shri Vinay Kumar Verma of M/s Medical Pollution Control Committee (MPCC) D-33, UPSIDC, Industrial Area, Khalilabad, Santkabir Nagar is hereby granted an authorization for;

Activity	**Please tick**
Collection	
Storage	
Transportation	
Treatment or processing or conversion	
Recycling	
Disposal or destruction use	
offering for sale, transfer	
Any other form of handling	

3. M/s Medical Pollution Control Committee (MPCC) is hereby authorized for handling of biomedical waste as per the capacity given below.

(i) Installed treatment and disposal capacity—(Capacity of Incinerator-100 Kg/hour, Capacity of Autoclave -500 liter/hour & Shredder- 50 kg/hour.
(ii) Number healthcare facilities covered by CBMWTF--888
(iii) Area or distance covered by CBMWTF—150 Km. RADIUS
(v) Quantity of Biomedical waste handled, treated or disposal

Type of Waste Category	**Quantity Permitted for Handling**
Yellow Red White (Translucent) Blue	6500 kg/day

Scanned with OKEN Scanner

M/s Medical Pollution Control Committee
(MPCC), D-33, UPSIDC, Industrial Area,
Khalilabad, Santkabir Nagar

4. This authorization shall be in force for a period of five year from the date of issue.
5. This authorization is subject to the conditions stated below and to such other conditions as may be specified in the rules for the time being in force under the Environment(Protection)Act, 1986

Authorized by the competent authority to issue letter.

Chief Environment Officer
(CEO-6)

TERM AND CONDITIONS

1. The Authorization shall comply with provisions of the Environment (Protection) Act 1986 and the rules made there under.
2. The Authorization or its renewal shall be produced for inspection at the request of an officer, Authorized by the prescribed authority.
3. The Authorized person shall not rent, lend, sell transfer or otherwise transport the bio-Medical waste without obtaining prior permission of the prescribed authority.
4. It is duty of the Authorized person to take prior permission of the Board to close down the facility.
5. Bio- Medical waste shall not be mixed with other waste.
6. Bio- Medical waste shall be transported in containers/ bags at the point of generation in accordance with schedule I. Prior to its storage, transportation, treatment and disposal. The Containers shall be labeled according to schedule IV.
7. No untreated bio medical waste shall be kept stored beyond a period of 48 hours.
8. You shall submit an annual report to the U.P. Pollution Control Board in IV from by 30th June every year. And include information about the categories and quantities of Bio Medical waste during the preceding year.
9. Number of beds allowed to covered 10,000 (Ten thousand) is your maximum limit.

17. You shall maintain record related to the generation, collection, reception storage, Transportation, treatment and disposal and / or any form of handling of Bio Medical Waste in accordance with rule and guidelines, all records shall be subject to inspection and verification by the Board at any time.
18. Any unauthorized change in personnel equipment or working condition as mentioned in the application by the person authorized shall constitute a breach of this authorization.
19. The incinerable Bio-Medical waste shall be safely sorted at an isolated storage place and safely transported for incineration.

Scanned with OKEN Scanner

443

M/s Medical Pollution Control Committee (MPCC), D-33, UPSIDC, Industrial Area, Khalilabad, Santkabir Nagar

20. You are herby directed to comply the stipulated above mentioned conditions and submit the compliance report and steps taken in this regard within a month so that capacity of the facility may be verified failing which the authorization may be revoked and necessary legal proceeding shall be initiated.
21. The Bio medical waste shall not be disposed in open place in the premises.
22. You shall submit the details of attached Pvt. & Govt. Hospital/ Nursing homes /Clinic etc. along with the No. of Beds within 15 days time after the receipt of this authorization.
23. You are directed to install on line continuous emission monitoring system which is attached with incinerator.
24. You are directed to submit Bank Guarantee of Rs. 200000/- (Rs. Two Lac only) within 15 days.

Authorized by the competent authority to issue letter.

Yours faithfully

Chief Environment Officer
(CEO-6)

Copy to :-

Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Basti for information and necessary action.

Chief Environment Officer
(CEO-6)

Scanned with OKEN Scanner